न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 227/2025(GCMS : 2025/417)

कृष्णलाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी 4 एसकेएम, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

बनाम

1. **श्रीमती जीवनी** पत्नी रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी 4 एसकेएम, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
2. **सुनिल चौहान** उपखण्ड अधिकारी, घड़साना, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
3. **स्टेट ऑफ राजस्थान** जरिये तहसीलदार (राजस्व) घड़साना जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.03.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश छाबडा उपस्थित हुए। अप्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी कृष्णलाल ने यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के न्यायालय में धारा 92ए, 188 आरटीए प्रकरण संख्या 28/2021 अनवान कृष्णलाल बनाम जीवनी आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किया था। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, घड़साना का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है, इसलिए यह प्रकरण निष्प्रभावी होने के कारण खारिज करने योग्य है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 28/2021 अनवानी कृष्णलाल बनाम जीवनी आदि अन्तर्गत धारा 9ए, 188 आरटीएक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधकारी, घड़साना का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आ[illegible] की [illegible] उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:24:17 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर